मानवाधिकार क्या हैं?

- एक सम्मानित जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम स्थितियां/हकदारियां

सभी मनुष्य अपने सम्मान और अधिकारों में स्वतंत्र और समान जन्मे हैं। वे तर्क और विवेक के साथ सम्पन्न होते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारे के साथ व्यवहार करना चाहिए।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोशणा

मानवाधिकारों की विशेषताएं

- मनवाधिकार सभी से संबद्ध होते हैं (बिना किसी जाति, धर्म अथवा राजनैतिक विश्वास, विधिक स्तर, आर्थिक स्तर, भाषा, रंग, राष्ट्रीय मूल, जेंडर, जाति, नस्लता के) और वे विशेषाधिकार नहीं होते।
- वे सामान्यतः समानता और न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित होते हैं।
- वे राज्य और व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। व्यक्तियों के अधिकार होते हैं और राज्य के दायित्व।

मानवाधिकारों के स्रोत

- राष्ट्रीय संविधान और कानून
- अंतर्राष्ट्रीय कानून
  – मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यू.डी.एच.आर.)
  – नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई.सी.सी.पी.आर.)
  – आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई.सी.ई.एस.सी.आर.)
  – बाल अधिकारों पर सम्मेलन(सी.आर.सी.)
  – कन्वेंशन फ़ॉर द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फ़ॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन (सीडॉ)
  – तथा अन्य सम्मेलन
  – अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियां तथा व्यवस्था तंत्र

मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियां

- नागरिक और राजनैतिक अधिकार–जीवन का अधिकार, सूचना का अधिकार, घूमने–फिरने की आज़ादी का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार आदि।
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार–शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार आदि।
- उपेक्षित समूहों के अधिकर–महिलाओं के अधिकार, बाल अधिकार, आदिवासियों के अधिकार आदि।

अधिकार और नगारिकता

विषय → नागरिक

\+

अधिकार

Active Citizenship

- प्रतिनिधि लोकतंत्र
  – सामंती संबंध
  – सगे (किनशिप) संबंध

↓

- सहभागितापूर्ण लोकतंत्र
  – उत्तरदायित्वपूर्ण संबंध

नियतिवाद

अधीनता

↓

एजेंसी

आवाज़

दबाव

मानवाधिकारों का मूल्यांकन

प्राधिकरणों के व्यक्तियों के बीच प्रतिक्रियात्मक मनःस्थिति

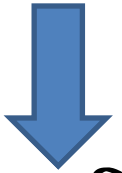

मानवाधिकार

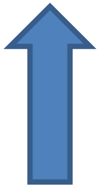

जन संघर्ष

अधिकारों पर आधारित विकास मानकों का मूल्यांकन

- आधुनिक मानवाधिकार– दूसरा विश्वयुद्ध, यू.एन., यू.डी.एच.आर., आई.सी.सी.पी.आर.,आई.सी.ई.एस.सी.आर.
- आकांक्षाएं– स्वतंत्रता, शांति और न्याय की उपलब्धि का सामान्य मानक
- नागरिक और राज्य के बीच संबंध को परिभाषित करता है।
- विभिन्न गैर–राज्ययी अभिनेताओं के बीच आचार–संहिता
- प्रतिस्पर्धा–नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार

मानवाधिकार : जन संघषों से उद्भूत

अमरीकी स्वतंत्रता–स्थानीय भूस्वामी एवं उत्पादक राजा और राज्य को कर भुगतान करने को बहुत ज़्यादा अनिच्छुक होते हैं।

फ्रांस की क्रांति– सामंतवाद और राजतंत्र के खिलाफ़ जन संघर्ष

श्रमिक संघर्ष– काम की मानवीय स्थितियां–काम के घंटे, वेतन

महिला संघर्ष– राजनैतिक भागीदारी के लिए, समान वेतन के लिए, तलाक के लिए, गर्भनिरोधकों के लिए।

भारतीय संदर्भ में–स्वतंत्रता का संघर्ष

इसलिए मानवाधिकार...

- सभी के लिए सफलता के सामान्य मानक की आकांक्षा
- नागरिक और राज्य (विषय) के बीच संबंध का आधार
- व्यक्तियों तथा राज्य द्वारा निरीक्षण युक्त पक्षों के बीच आचार संहिता
- ....अन्य नैतिक, सैद्धांतिक और धार्मिक संहिताओं से इतर मानवाधिकार न्यायोचित होते हैं....

स्वास्थ्य का अधिकार

एक अनिवार्य मानवाधिकार

भारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार

1. वर्तमान समझौते के राज्ययी पक्ष हरेक को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों का लाभ प्राप्त करने अधिकार को मान्यता देते हैं।

2. वर्तमान समझौते के राज्ययी दलों द्वारा निम्न को पूरी तरह हासिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए

- इस अधिकार की मान्यता में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए जो निम्न के लिए आवश्यक हों: (अ) स्थिर जन्म–दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान ;
- (ब) पर्यावरणीय तथा औद्योगिक स्वच्छता के सभी पक्षों का सुधार
- (स) महामारी, स्थानिक रोग, व्यवसायिक और अन्य बीमारियां
- (द) ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जो बीमारी की स्थिति में हर तरह की चिकित्सकीय सेवाएं और चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित कर सके।

अनुच्छेद 12

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार के महत्वपूर्ण पक्ष

स्वास्थ्य के अधिकार को एक स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं समझा जाना चाहिए। स्वास्थ्य के अधिकार में स्वतंत्रताएं और हकदारियां दोनों शामिल होते हैं। स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और शरीर पर नियंत्रण का अधिकार शामिल होता है, जिसमें यौनिक तथा प्रजनन स्वतंत्रता, और हस्तक्षेप से मुक्त रहने का अधिकार भी इसमें शामिल है,जैसे कि क्रूरता, असहमतिपूर्ण चिकित्सकीय उपचार तथा परीक्षण से आज़ादी का अधिकार। इसके विपरीत, हकदारियों में स्वास्थ्य संरक्षण की व्यवस्था का अधिकार भी शामिल है जो लोगों को सवास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तरों का लाभ उठाने का समान अवसर देता है।

अपने सभी रूपों में तथा सभी स्तरों पर स्वास्थ्य के अधिकार में निम्नलिखित अन्तःसंबंधित और अनिवार्य घटक शामिल हैं,

- उपलब्धता
- प्राप्यता
- स्वीकार्यता
- गुणवत्ता

स्वास्थ्य का अधिकार: व्यवहारिक पक्ष

चार अनिवार्य घटक:

- उपलब्धता
- प्राप्यता
- स्वीकार्यता
- गुणवत्ता

सरकार/राज्य के दायित्व

मानवाधिकारों का सम्मान करना

- राज्य द्वारा अपने कार्यों से अधिकारों का अतिक्रमण न होने देने के लिए राज्य का दायित्व मानवाधिकारों का आनंद उठाने से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप से रोककर।

मानवाधिकारों का संरक्षण

- दूसरों के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य का दायित्व
- कैसे? तीसरे पक्षों को मानवाधिकारों में हस्तक्षेप अथवा उनके उल्लंघन से रोककर। इसका अर्थ है कि व्यक्तियों अथवा समूहों को अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने हेतु आवश्यक उपाय करना।

मानवाधिकारों को पूरा करना

- यह सुनिश्चित करने का राज्य दायित्व कि अधिकारों का आनंद उठाया जा सके।

कैसे? समुचित वैधानिक, प्रशासनिक,बजटरी, न्यायिक, प्रोत्साहक तथा मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति की सुविधाजनक बनाने के अन्य उपाय करके। इसका अर्थ है यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना कि हर व्यक्ति को, मानवाधिकार तंत्रों में वचनबद्ध हकों का लाभ उठाने का मौका मिले।

(पूरा करने का दायित्व अक्सर सुविधाजनक बनाने, मुहैया कराने और प्रोत्साहन देने के दायित्व को शामिल करने के लिए तोड़ दिया जाता है।)

भेदभावहीनता

अधिकारवादी सोच

- अधिकारवादी सोच स्वास्थ्य स्थिति को मानवाधिकारों के सदंर्भ में देखती है।
- अधिकारवादी सोच सरकारों को इन संधियों के तहत उनके दायित्वों के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों तथा नियमों तथा राष्ट्रीय कानून का प्रयोग करती है।
- अधिकारवादी सोच किसी भी संख्या तक पैरवी रणनीतियों तथा उपायो के साथ जोड़ा जा सकता है जिनमें निगरानी; सामुदायिक शिक्षा तथा लामबंदी; विधि निर्माण; और नीति निर्माण शामिल है।

अधिकारवादी सोच–अभिनेता

- अधिकार धारक–समुदाय में महिलाएं तथा पुरुष, कमजोर और हाशियाबद्ध समूह तथा वयक्ति–जब वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं तोवे अधिकार दावाकर्ता बन जाते हैं।
- कर्त्तव्य पालक– नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी नीतियों तथा कार्यक्रमों के लिए ज़िम्मेदार सरकारी संस्थान तथा अधिकारी–जिनमें नीति निर्माता और प्रदाता भी शामिल हैं।
- अभिभावक संस्थान– अदालतें, आयोग, लोकायुक्त संगठन
- मानवाधिकार पैरोकार–कार्यकर्ता, गैरसरकारी सगंठन, पैरोकार समूह, मानवाधिकार संगठन।

अधिकारों को समझते हुएः मानक रूपरेखा

नागरिक/अधिकार धारक

आवाज़ भागीदारी

राज्य अपने दायित्व और कर्त्तव्यपालकों के साथ

सम्मान दे पूरा करे रक्षा करे

कानूनों नीतियों सूचना सेवाओं संसाधनों उत्तरदायित्वों की

उपलब्धता, प्राप्यता, स्वीकार्यता, गुणवत्ता

प्रमुख हितधारकों की भूमिका
मानक मान्यताएं

राज्य के दायित्व

प्रदान कराना

- सक्षम बनाने वाली स्थितियां
- आवश्यक कानून
- समुचित सेवाएं
- पर्याप्त बजट
- उल्लंघन के विरूद्ध संरक्षण

नागरिकों के हक़

- अपनी ज़रूरतों तथा हितों के बारे में सचेत
- हकों और अधिकारों के बारे में जानते हैं
- सेवाओं को प्राप्त करने में समर्थ
- समस्याओं को व्यक्त करें और समाधान खोजें।

सामान्य प्रदाता–सामुदायिक संबंध

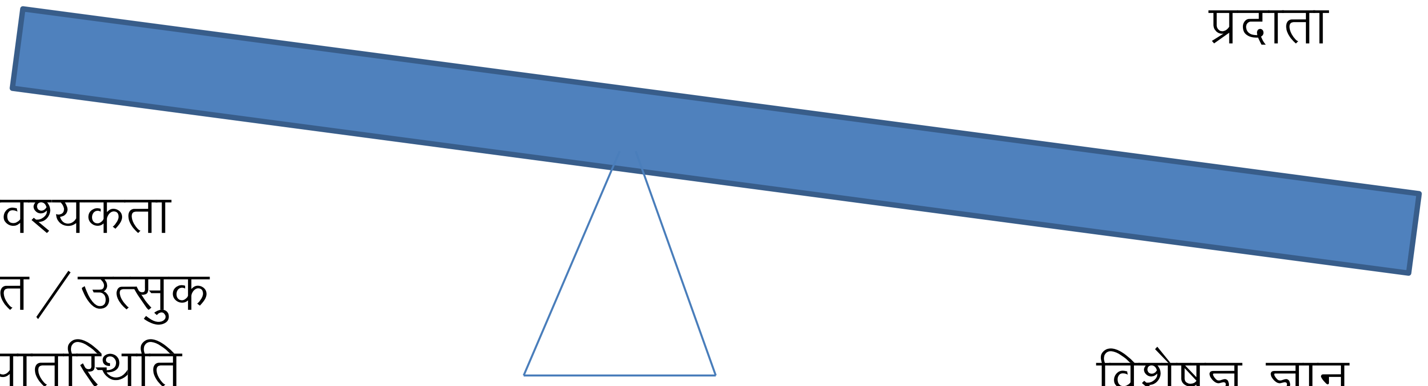

अतिरक्त विचार

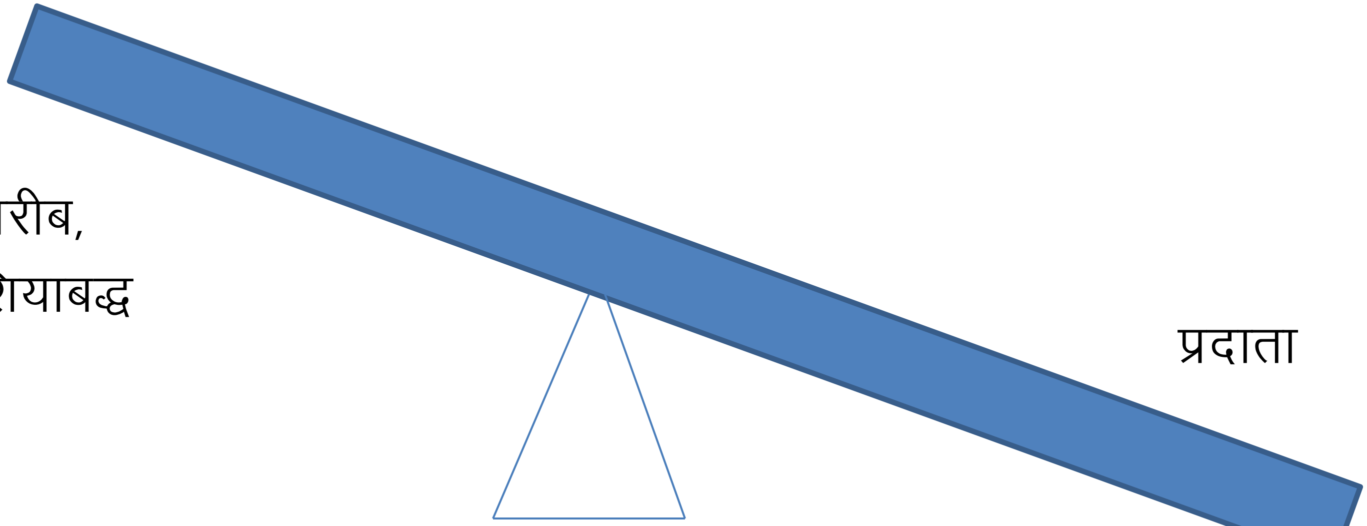

अधिकारों की चुनौतियांThe Rights Challenge

पक्षकार

प्रदाता

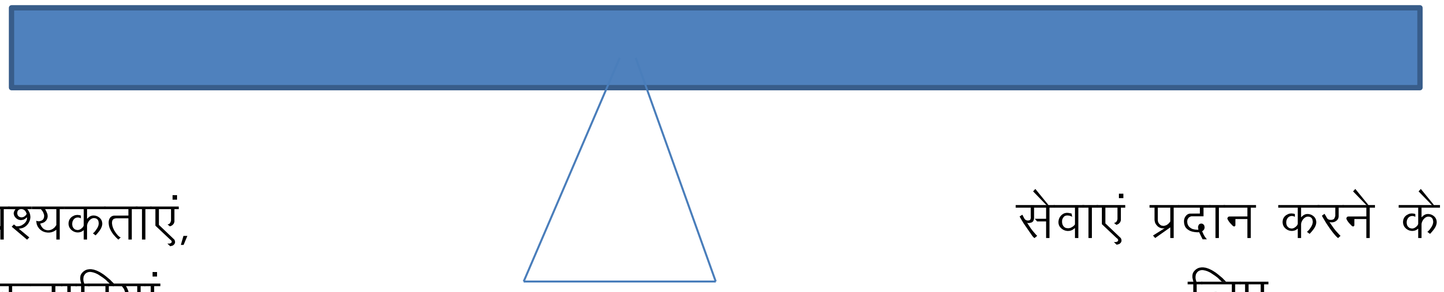

आवश्यकताएं,
हक़दारियां

सेवाएं प्रदान करने के
लिए
कर्त्तव्य/दायित्व

प्रशासन
सहारा
(उत्तरदायित्व)

मानवाधिकार पैरोकारों की मूल भूमिका

- एकजुट और सशक्त करना–कायरता से ज़िद तक, भाग्यवाद से आकांक्षाओं तक, अलग–थलग और हाशियाबद्ध से सामूहिक की ओर।
- अधिकार धारकों/दावाकर्ताओं का क्षमता निर्माण कि वे अपनी बात कह सकें, बातचीत, मांग कर सकें।
- मंच और मौके तैयार करना–भागीदारी के लिए–समेकन से आवाज़ उठाने, दबाव बनाने के
- सक्रिय अधिकार दावों को समर्थन देना
- प्रदाताओं के साथ जुड़ाव और उन्हें संवेदनशील बनाना
- नकारात्मक अवपतनों को समझना और उन पर काबू पाना।

एकाधिक परिणाम

- नागरिकता का निर्माण–बढ़ी हुई नागरिक और राजनैतिक समझ, व्यापक जुड़ाव
- सशक्तिकरण और एजेंसी–सामूहिक कार्रवाई के लिए बढ़ी हुई क्षमताएं, भागीदारियों के नए रूप, नेटवर्कों और एकजुटताओं को गहन बनाना।
- संवेदनशील और जवाबदेय राज्य– राज्ययी सेवाओं तक व्यापक पहुंच, राजय की बढ़ी हुई जवाबदेयी और अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा अहसास
- समावेशी और एकजुट समाज–सार्वजनिक स्थलों में नए अभिनेताओं और मुद्दों का समेकन, मजबूत सामाजिक एकजुटता।

(सो वॉट डिफ्रेंस डज़ इट मेक–जॉन गैवेंटा, ग्रेगरी बैरट, आई.डी.एस., सुसेक्स आई.डी.एस. वर्किंग पेपर 347, 2010)